

पत्र संख्या : 7 वि.शा./मु.ल.सिं.राँची-07-10/2020 ज.स.- 322

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 21/03/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रुपये 74.238 लाख (रुपये चौहत्तर लाख तेईस हजार आठ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।


प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 77/12.02.2018; 04/21.04.2017 एवं 51/24.09.2019
(Online स्वीकृति सं.- 2162/13.02.2018; 448/02.05.2017 एवं 1463/25.09.2019)

महाशय,


वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष /उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रु.) |
|--|--|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य | 05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S470200796200545 | 74.238 |
| आवंटित राशि - रुपये चौहत्तर लाख तेईस हजार आठ सौ मात्र। | | | | |

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- निर्गत आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनर्विनियोग एवं द्वितीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 150.00 लाख (रुपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


20/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 322

राँची, दिनांक :- 21/03/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/खूँटी/चाईबासा/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



20/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 322

राँची, दिनांक :- 21/03/21

प्रतिलिपि :- सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


20/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 392

दिनांक 21/03/21

का अनुलानक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपबध (2020-21) - रुपये 150.00 लाख (रुपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र

विपन्न कोड- 50S470200796200545

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. | कार्यालय का नाम | जिला | प्रखण्ड | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति | | | एकराशि राशि | मार्च 2020 तक व्यय | वर्ष 2020-21 में | | | योजना पर कुल अदातन आवंटन (10+13) | Online Allotment Access No. | अभ्युक्ति |
|--|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | प्रसंग | राशि | Online प्रसंग | | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | लघु सिंचाई | सँची | चान्हो | सेनागढ़ा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | 04/2017-18 dt 21.04.2017 | 98.967 | 448 / 02.05.2017 | 88.945 | 60.780 | 0.000 | 3.356 | 3.356 | 64.136 | 90062 | |
| 2 | लघु सिंचाई | सँची | बेड़ो | खिरदा म0सिंयो0 का जीर्णोद्वार | 77/2017-18 | 35.840 | 2162 / 13.02.2018 | 31.877 | 11.899 | 0.000 | 12.266 | 12.266 | 24.165 | 90114 | |
| 3 | प्रमंडल, सँची (RNCMIIR001) | सँची | खलारी | भीतर खोलका म0सिंयो0 का जीर्णोद्वार | dt 12.02.2018 | 62.237 | | 61.687 | 0.000 | 0.000 | 35.342 | 35.342 | 35.342 | | |
| 4 | | सँची | सिल्ली | एराल मध्यम सिंचाई योजना का विस्तारीकरण | 51/2019-20 dt 24.09.2019 | 98.935 | 1463 / 25.09.2019 | 88.007 | 0.000 | 16.198 | 5.159 | 21.357 | 21.357 | 90123 | |
| योग :- | | | | | | 295.979 | | 270.516 | 72.679 | 16.198 | 56.123 | 72.321 | 145.000 | | |
| 5 | सँची | बुण्डू | तिलइपीडी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | 04/2017-18 dt 21.04.2017 | 72.856 | 448 / 02.05.2017 | 67.111 | 57.990 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 58.490 | 90063 | |
| 6 | लघु सिंचाई | खूँटी | अड़की | सोनपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | | 61.375 | | 56.289 | 55.790 | 0.000 | 0.900 | 0.900 | 56.690 | | |
| 7 | प्रमंडल, खूँटी (RNCIRK01) | खूँटी | अड़की | रूपई सोरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्वार | 77/2017-18 | 35.076 | 2162 / 13.02.2018 | 24.347 | 22.575 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 25.075 | 90117 | |
| 8 | | सँची | तनाड़ | चिरगालडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | dt 12.02.2018 | 162.864 | | 143.963 | 137.135 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 138.135 | | |
| 9 | | सँची | बुण्डू | दरकेदा म0सिंयो0 का जीर्णोद्वार | | 64.636 | | 57.354 | 58.616 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 59.016 | | |
| योग :- | | | | | | 396.807 | | 349.064 | 332.106 | 0.000 | 5.300 | 5.300 | 337.406 | | |
| 10 | लघु सिंचाई | प0 सिंभूम | चक्रधरपुर | जेनाबेड़ा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | 04/2017-18 dt 21.04.2017 | 66.243 | 448 / 02.05.2017 | 62.416 | 43.602 | 0.000 | 11.011 | 11.011 | 54.613 | 90074 | |
| योग :- | | | | | | 66.243 | | 62.416 | 43.602 | 0.000 | 11.011 | 11.011 | 54.613 | | |
| 11 | लघु सिंचाई | साहेबगंज | मंडरो | माथाडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | 04/2017-18 dt 21.04.2017 | 30.160 | 448 / 02.05.2017 | 26.344 | 20.613 | 0.000 | 1.804 | 1.804 | 22.417 | 90083 | |
| योग :- | | | | | | 30.160 | | 26.344 | 20.613 | 0.000 | 1.804 | 1.804 | 22.417 | | |
| सकल योग :- | | | | | | 789.189 | | 708.340 | 469.000 | 16.198 | 74.238 | 90.436 | 559.436 | | |
| आवंटित राशि - रुपये चौहत्तर लाख तेईस हजार आठ सौ मात्र। | | | | | | | | | | | | | | | |

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव